1.

शोध विषय का परिचय

अध्याय प्रथम

शोध विषय का परिचय

1.1 प्रस्तावना

शिक्षा का प्रमुख एवं प्रारंभिक उद्देश्य बालक में अंतर्निहित गुणों एवं प्रतिभाओं का विकास करना है। अतः शिक्षार्जन करने वाला बालक, सामान्य बालक हो या विशेष आवश्यकता वाले बालक सभी को उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करने के समान अवसर उपलब्ध कराना न्यायसंगत है। वास्तव में शिक्षा को स्वीकारने वाली इकाई मानव शरीर नहीं है, मानव में शिक्षा समझदारी जिम्मेदारी को स्वीकार ने वाली इकाई मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा आदि है,जो शरीर का कोई अंग अवयव नहीं है।

अतः अध्ययन में शरीर के किसी अंग अवयव के बाधित होने से शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, किंतु, क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियां (आंख, नाक,कान ,त्वचा ,जीभ) हमारे शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया में काफी महत्वपूर्ण अंग है तथा इनमें किसी भी प्रकार की समस्या होने पर शिक्षा के तत्वों को ग्रहण करने में कठिनाई होती है, हम विभिन्न संसाधनों की सहायता से तथा विशेष तकनीक की सहायता से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी संकल्पना के साथ समावेशी शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ।

समावेशी शिक्षा से तात्पर्य भी इसी प्रक्रिया से है जिसमें विशेष विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ विभिन्न संसाधनों की सहायता से शिक्षा प्रदान करना है।

महात्मा गांधी के अनुसार -"शिक्षा से तात्पर्य बालक एवं मनुष्य में निहित शारीरिक मानसिक व आत्मिक सर्वश्रेष्ठ शक्तियों का सर्वांगीण विकास है।"

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अर्थात वह जन्म से मृत्यु तक अपना संपूर्ण जीवन समाज के साथ निर्वहन करता है, अतः मनुष्य में निहित शक्तियों का संपूर्ण विकास एवं उपयोग समाज के साथ ही संभव है। किसी शिक्षा शास्त्री ने कहा है –

"शिक्षा वह जो जीवन को जीने में काम आए।"

अतः विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को समावेशी विद्यालय में पढ़ाना अत्यधिक आवश्यक है, जिससे वे समाज में सामान्य रूप से जीवन जीने हेतु सक्षम बन सके तथा उनका सामाजिक जीवन सुचारु रुप से चल सके।

समावेशी शिक्षा -

"समावेशी शिक्षा, शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः या आंशिक ग्रसित बच्चों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है तथा विशिष्ट बालकों की शिक्षा का अनुमोदन करती है। " शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक विशेष आवश्यकता वाले छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना लिखित रूप में ही थी, किंतु आर. टी. ई. एक्ट (शिक्षा का अधिकार) आने के बाद सभी की शिक्षा अनिवार्य हो गई, अतः समावेशन के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य हुए तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थी भी सामान्य विद्यार्थियों के साथ सामान्य कक्षा में विशेष संसाधनों की सहायता से शिक्षा ग्रहण करने में सफल रहे हैं।

समावेशी शिक्षा का उद्देश्य-

1) विशेष आवश्यकता वाले बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा विशेष आवश्यकताओं का निर्धारण करना।

2) यह सुनिश्चित करना कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना उपलब्ध हो ।

3) बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना।

4) बालकों में आत्म निर्भरता की भावना का विकास करना।

5) विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ना।

6) समाज में विशिष्ट बालकों के संबंध में फैली बुराइयों को दूर करना।

समावेशी शिक्षा का महत्व -

1) समावेशित शिक्षा से राष्ट्र के विकास में सहायता मिलती है।

2) समावेशी शिक्षा से बालकों में आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है।

3) इसके माध्यम से विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बना कर मुख्यधारा से जोडते है।

4) समावेशी शिक्षा से प्रत्येक बालक का वैयक्तिक विकास होता है।

5) समावेशी शिक्षा, सम्मान और अपनेपन की संस्कृति के साथ वैयक्तिक भेदो को स्वीकार करने के अवसर प्रदान करती है।

नेत्र मानव शरीर की एक प्रमुख ज्ञानेन्द्रिय है, जिसका कार्य किसी वस्तु को देखना है, यदि इनकी कार्यक्षमता अवरूद्ध हो जाये अथवा पूर्णरूप से निष्क्रिय हो जाये, तो मनुष्य दृष्टि जैसी प्राकृतिक उपहार से वंचित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने जीवन को निरर्थक समझने लगता है और अपने भाग्य को कोसता है,आज के वैज्ञानिक युग में तीव्रगति से प्रगति करते हुए, मानव ने ऐसे साधन खोजे निकाले हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों की गतिशीलता व कार्यक्षमता अर्थात् सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और स्पर्श करने की शक्ति को बढ़ाकर जीवन को व्यवस्थित कर सकता है।

पूर्व काल से ही शारीरिक विकलांगता के क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से दृष्टिबाधितों को स्वीकारा जाता है, परंतु उनका जीवन समाज में दया, सहानुभूमि व भिक्षावृत्ति पर आश्रित रहा है। तथापि इतिहास ने हमें सूरदास जैसे प्रख्यात भक्ति कवि दिये, जो जन्मान्ध थे। लुई ब्रेल, जिन्होंने दृष्टिबाधितों को स्पर्श के माध्यम से पढ़ने हेतु सफल विधि देकर अत्यत ही बड़ा व सराहनीय कार्य किया, वे स्वयं भी दृष्टिबाधित थे। आज के समय में दृष्टिबाधितों विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण ग्रहण करने के अतिरिक्त क्रिकेट व पैराशूट द्वारा वायुयान के कूदने जैसे अदभुत प्रदर्शन करने लगे हैं।

दृष्टिबाधित बालक की विशेषताएं

मानव के जीवन में दृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जीवन में प्रत्येक अनुभव मानवों की दृष्टि से ही संबंधित होते है तथा दृष्टिबाधित व्यक्ति का जीवन भी बाधित हो जाता है पर जिस प्रकार से हम देखते हैं, कि एक विकलांग बालक जो कि अपने हाथ-पैरों से लाचार है, वह भी अपना कार्य करता ही है। ठीक उसी प्रकार से दृष्टि बाधित बालक भी किसी-न-किसी प्रकार से अपना स्वयं का कार्य कर ही लेते हैं, परंतु विकलांगों की तरह ही दृष्टिबाधित बालकों में भी कई विशेषताएं पायी जाती हैं।

1. दृष्टि बाधितों की मानसिक योग्यता
2. दृष्टि बाधितों की भाषा का विकास
3. दृष्टि बाधितों के समाजिक व समायोजन संबंधी कार्य।

1. दृष्टि बाधितों की मानसिक योग्यता

दृष्टि बाधित बालक वह होते हैं, जो कि अपनी आंखों से ठीक प्रकार से नहीं देख पाते हैं। यह बाधित बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। शोध तथा अनुसंधान कार्यों से यह पता चला है कि यदि इन्हें समुचित शिक्षा दी जाये या शिक्षा का अवसर मिल सके, तब इनकी बुद्धि- लब्ध अचानक बढ़ जाती है।

यह बालक किसी वस्तु की दूरी को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वे दूरी को देख नहीं सकते हैं। अत: इनकी दूरी पर प्रत्यय विकसित नहीं होता है। दृष्टि बाधित बालकों में एकाग्रता का विकास होता है। देखने से एकाग्रता प्रभावित होती है तथा सुनने का कौशल उत्तम हेाता है। प्रथम विश्लेषण स्पर्श अनुभव तथा द्वितीय संश्लेषण स्पर्श अनुभव से होता है।

2. दृष्टि बाधितों की भाषा का विकास

दृष्टि बाधित बालक भाषा दोषी नहीं होते हैं, यह ठीक प्रकार से सुन सकते है, सुनना तथा बोलना भी भाषा के प्रमुख कौशल होते है। मुख्य रूप से भाषा को ही सम्प्रेषण का माध्यम माना जाता है, परंतु सामान्य बालक देखकर सीखते है तथा दृष्टि बाधित बालक इस प्रकार के अनुभवों से वंचित रहते हैं। यह सिर्फ शब्दों से ही अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं न कि इन्द्रियों के माध्यम से। दृष्ट बाधित बालक सुनकर ही शब्द का चयन करते हैं,क्योंकि इनकी दृष्टि इन्द्रिय क्रियाशील नहीं होती है। सम्पूर्ण जानकारी व ज्ञान श्रवण इन्द्रियों पर भी आधारित होता है। किसी वस्तु का सही प्रत्यक्षीकरण इन्हें नहीं हो पाता है, तथ्यों को भाषा द्वारा ही प्रकट किया जाता है। उनको रंगों का कोई भी बोध नहीं होता है, इनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति आंतरिक नहीं होती है तथा उसके अनुभव भी पूर्ण नहीं होते हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण सुनने तथा स्पर्श तक ही सीमित रहता है।

3. दृष्टि बाधितों के समाजिक व समायोजन संबंधी कार्य

दृष्टिबाधित बालकों के व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होता है, यदि इन बालाकों में समायोजन क्षमता की समस्या सामाजिक कारणों से होती है, तो वह बालक अपने समायोजन को सुनिश्चित कर लेते हैं।

डॉ रमेश जी केकुनिया के एक अध्ययन के अनुसार 2020 तक भारत के 2.2 मिलियन बच्चे दृष्टिबाधित होंगे।

राष्ट्रीय दृष्टिबाधित सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 12 मिलियन दृष्टि बाधित है। अतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा अत्यंत आवश्यक हो जाती है क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग इस से प्रभावित होता है।

1.2 संकल्पना-

विभिन्न योजना अधिनियम ने समावेशी शिक्षा की अवधारणा को इस प्रकार व्यक्त किया है-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार -"देश के सदस्यों की सही पहचान विशिष्ट व्यक्तियों की शिक्षा से होती है, बिना भेदभाव के इस अधिकार को साकार करने की दृष्टि से समानता का अवसर होना चाहिए"।

कोठारी आयोग (1964-1966) के अनुसार- विशिष्ट बालकों की दी जाने वाली शिक्षा का प्रमुख कार्य है, इसे इस सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में सामंजस्य करने के लिए तैयार करना, जिसका निर्माण सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हुआ हो ,अतः यह आवश्यक है कि विशिष्ट बालक की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रतिवेदन में कहा गया है कि "विशिष्ट बालकों की शिक्षा देने का उद्देश्य होना चाहिए कि वे पूरे समाज के साथ कंधे से कंधा मिला कर चल सकें, उसकी उन्नति भी आम आदमी की तरह हो"।

NCF 2005 के अनुसार- समावेशी शिक्षा निःशक्त बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है ताकि इसके द्वारा ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उन्हें जीवन यापन के लिए तैयार किया जा सके। समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती।

RTE 2009 के अनुसार – "सभी बच्चों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित समावेशी शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है, किसी भी बच्चे को उसकी निशक्तता के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं कर सकती"।

RPWD 2016 के अनुसार "Inclusive education" means a system of education wherein students with and without disability learn together and the system of teaching and learning is suitably adapted to meet the learning needs of different types of students with disabilities;

1.3 अध्ययन की आवश्यकता

प्रशासन द्वारा लगभग 25 वर्षों से समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, इसके साथ ही प्रशासन इन व्यक्तियों को विभिन्न भौतिक सुविधाएं, प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। अतः आज दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन की स्थिति तथा प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों की इतनी जानकारी तथा लाभ इन विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ है? साथ ही साथ दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में शिक्षकों को किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं? यह जानने के उद्देश्य से अध्ययन की आवश्यकता है ।

1.4 समस्या कथन

"विद्यालयों में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की समावेशन की स्थिति का अध्ययन।"

1.5 अध्ययन में प्रयुक्त कारकों की तकनीकी परिभाषा-

दृष्टिबाधित विद्यार्थी की परिभाषा

दृष्टिबाधितता के समय-समय पर अलग-अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। आयुर्विज्ञान में दृष्टिबाधितता का तात्पर्य नेत्रों से कुछ भी न देखने की स्थिति है।

1. **शैक्षिक दृष्टि से -**"दृष्टिबाधिता एक ऐसा दृष्टिविकार है, जिसके परिणामस्वरूप दृश्य - सामगी के प्रयोग से शिक्षण आशिंक रूप से भी संभव न हो सके।"

2. **चिकित्सीय दृष्टि से -** चिकित्सीय विधि से दृष्टिबाधिता की परिभाषा दृष्टि-तीक्ष्णता (Visual acuity) और देखने के क्षेत्र (Field of vision) पर आधारित है। जिसको अग्रलिखित दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है -
    i. **दृष्टि-तीक्ष्णता के आधार पर -** सभी प्रकार के उपाय करने के बाद व्यक्ति किसी वस्तु तो 20 फीट की दूरी पर नहीं देख पाता, जबकि सामान्य व्यक्ति उस वस्तु को 200 फीट की दूरी पर देखता है, तो उस व्यक्ति को दृष्टिबाधित कहा जाता है। दृष्टि-तीक्ष्णता को 20/200 के रूप में लिखा जाता है। यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति वस्तु को किस-किस दूरी तक देख सकता है।
    ii. **देखने के के आधार पर -** दृष्टि विकृत व्यक्ति के देखने के क्षेत्र व्यास 200 से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उनकी दृष्टि-तीक्ष्णता 20/200 से अधिक अच्छा होना चाहिए।

RPWD 2016 के अनुसार दृष्टिगत ह्रास अंधता से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक विद्यमान होती है –

1) दृष्टि का पूर्णतया अभाव; या
2) सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि सुतीक्षणता 3/60 से कम या 10/ 20 (स्नेलन) से कम
3) 10 डिग्री से कम के किसी कोण पर कक्षातरित दृश्य क्षेत्र की परिसीमा निम्न दृष्टि से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है अर्थात –
    1) एक बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6 /18 से अनाधिक या 20/60 से कम से 3/60 तक या 10/200(स्नेलन) तक दृश्य सुतीक्षण ; या
    2) 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक की कक्षातरित दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

समावेशी शिक्षा की परिभाषा

जैसा कि नाम से ही ज्ञात है जो सबको समाहित कर ले अर्थात ऐसी शिक्षा जो "सभी के लिए 'हो अर्थात हर वर्ग के हर प्रकार के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में एक विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है।

समावेशी शिक्षा अथवा समावेशन की उक्ति" सबके लिए सामान्य विद्यालय में शिक्षा को स्पष्ट करती है।" यह भावना विश्वास का एक ऐसा प्रतिमान है जो एक सार्वभौमिक समाज के निर्माण एवं विकास का उद्देश्य रखता है,जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थान हो।

समावेशी शिक्षा, सामान्य एवं विशिष्ट बच्चों को सबको साथ लेकर सम्मिलित करते हुए बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए उनके बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सृजनात्मक विकास के अतिरिक्त

परस्पर सीखने सिखाने तथा अभियोजन का प्रयास है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव व अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि समाज के सभी बालकों को एक स्तर पर लाया जा सके।

1.6 अध्ययन के शोध प्रश्न-

1) क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थी तथा विद्यार्थियों के शिक्षक समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूक हैं?

2) क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों तथा शिक्षको को प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी है?

3) शिक्षकों को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

1.7 अध्ययन के उद्देश्य -

1) दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन का अध्ययन

2) दृष्टिबाधित विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के शिक्षकों की समावेशित शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन

3) विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी है।

4) विद्यार्थियों के समावेशन में समस्याओं का अध्ययन

1.8 अध्ययन की सीमाएं-

1) अध्ययन हेतु केवल शासकीय विद्यालयों का चयन किया गया।

2) अध्ययन पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के समझ पर आधारित है।